

परिशिष्ट - अ

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण
मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनायें।

1	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुगृह भुगतान योजना।
2	प्रसूति सहायता योजना।
3	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना।
4	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना।
5	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना।
6	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता।
7	निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना।
8	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना।
9	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना।
10	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना।
11	सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना।
12	सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना।
13	व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना।
14	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना।
15	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना।
16	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना।
17	व्यवसायिक (यू.जी./पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना।
18	पं. दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय(शेड) योजना।
19	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना।
20	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना।
21	सायकल अनुदान योजना।
22	दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना।
23	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना।


अनुमोदित
न्यायप्रदाता शासन,
क्षेत्र विभाग

